संख्या-120/2016/1047/22-4-16-48(44)/16

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 08 अगस्त, 2016

विषय- जिला कारागार, खीरी में 06 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प को रिबोर कराने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-21241/नम-4, दिनांक- 13 जुलाई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, खीरी में 06 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प को रिबोर कराने हेतु उ0प्र0 जल निगम, लखीमपुर खीरी को कार्यदायी संस्था नामित करने तथा उक्त कार्य की लागत रू0 1.86 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु सम्पूर्ण धनराशि रू0 1,86,000/- (रूपया एक लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन का नियमानुसार सक्षम स्तर से परीक्षण कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार को होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(4) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2016 तक कर लिया जाय।

(7) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायं।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-11-कारागार विभाग के भवनों/परिसर में लघु निर्माण कार्य -25-लघु निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कार्य पूर्ण होने पर कार्य के संपरीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जांय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक- 22.03.2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-120/2016/1047(1)/22-4-16-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लि0,लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, खीरी।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।